

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :- ०१ / यो०ब०—५८ / २०१५— ६७६

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी/
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/ गुमला वन प्रमंडल, गुमला/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/

वन प्रमंडल, पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/साहेबगंज वन प्रमंडल,
साहेबगंज/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ जमशेदपुर वन
प्रमंडल, जमशेदपुर/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/ कोलहान वन प्रमंडल,
चाईबासा/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू/

वन संरक्षक, वनरोपण एवं शोध मूल्यांकन, राँची।

दिनांक :- १४ / ०५ / २०१६

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कार्यान्वित की जाने वाली “स्थायी पौधशाला एवं
सीड आर्चड योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत स्थायी
पौधशालाओं में लम्बे पौधे उगाने का समापन कार्य के लिए कुल ७.५४७
लाख (सात लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि
का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४ / यो०बजट-१०७ / २०१५-३८ / स्वी० व०प०
दिनांक-३०.०९.२०१५ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो०बजट-१०७ / २०१५-२९ / आ०
व०प० दिनांक २५.०४.२०१६।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कार्यान्वित की जानेवाली “स्थायी पौधशाला एवं सीड
आर्चड योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत स्थायी पौधशालाओं में लम्बे पौधे
उगाने का समापन कार्य के लिए कुल ७.५४७ लाख (सात लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये
मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

121

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)				
क्रो सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—39—स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना	मजदूरी	19P240601796390103	5.857
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796390323	1.690
कुल आवंटित राशि				7.547

अर्थात् कुल 7.547 लाख (सात लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि कुल 7.547 लाख (सात लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—39—स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं० 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजना एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं निर्धारित कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—564 दिनांक—18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसकी एक प्रति अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग .द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समितियों की अनुशंसाओं के अनुरूप की जाएगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

119

सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

17. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।


18. स्वीकृत्यादेश की निहित सभी शर्तों का ससमय अनुपालन अक्षरश सुनिश्चित किया जोयगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1, कार्य विवरणी अनुलग्न-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्ता।

विश्वकासभाजन,


N. N. Jaiswal

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रॉची।

118

सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी भाष्ट की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।
16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
17. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
18. स्वीकृत्यादेश की निहित सभी शर्तों का समय अनुपालन अक्षरश सुनिश्चित किया जायगा।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1, कार्य विवरणी अनुलग्न-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

Shambhu Ram
टिक्कसभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रौची।
BW

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0—58 / 2015—676 राँची, दिनांक :-14.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

-116-

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0—58 / 2015—676 राँची, दिनांक :-14.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ परियोजना, पलामू / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।
Anup Singh
14/5/2016

ज्ञापांक :—०१ / यो०ब०—५८ / २०१५—६७६ राँची, दिनांक :—१४.०५.२०१६


प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१ / यो०ब०—५८ / २०१५—६७६ राँची, दिनांक :—१४.०५.२०१६


प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, खूँटी / कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा / कोषागार पदाधिकारी, गुमला / कोषागार पदाधिकारी, लातेहार / कोषागार पदाधिकारी, दुमका / कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज / कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा / कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला / कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर / कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा / कोषागार पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत स्थायी पौधशालाओं में लम्बे पौधे उगान का दो वर्षीय कार्य का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vi	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	20000	0.562	0.166	0.728
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	10000	0.287	0.082	0.369
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	10000	0.287	0.082	0.369
4	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	10000	0.287	0.082	0.369
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	10000	0.287	0.082	0.369
6	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	10000	0.287	0.082	0.369
7	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	10000	0.287	0.082	0.369
8	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	10000	0.287	0.082	0.369
9	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	10000	0.287	0.082	0.369
10	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	10000	0.287	0.082	0.369
11	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	10000	0.287	0.082	0.369
12	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	10000	0.287	0.082	0.369
13	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	5200	0.153	0.044	0.197
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	20000	0.562	0.166	0.728
15	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	10000	0.287	0.082	0.369
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	10000	0.287	0.082	0.369
17	पलामू व्याघ परियोजना, कोर एरिया	10000	0.287	0.082	0.369
18	वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	20000	0.562	0.166	0.728
योग :-		205200	5.857	1.690	7.547



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।


स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस :- 221.61 रुपये

स्थायी बेडों की संख्या-20

लम्बे पौधे 10" X 16" पॉलीबैग में -10000 (दस हजार)

क्रम	स्थाई नसरी के दर का क्रमांक	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी ₹० में	सामग्री ₹० में	कुल व्यय ₹० में
1	2	3	4	6	5	7
स्थायी पौधशाला में 10"X16" पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु पौधों का लक्ष्य-10,000						
A	द्वितीय वर्ष		221.61		मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस	
1		अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि	132	29252.52	7500.00	36752.52
2		आकस्मिक कार्य 2%		0.00	735.05	735.05
		योग :-	132	29252.52	8235.05	37487.57


अपर प्रधान मुख्य बन सरकारी विकास

झारखण्ड, राँची।



गोपनीय राज्य प्रमुख

आवंटन आदेश

-112-

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-58/2015-676

दिनांक -

14-May

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25874	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	56,200.00 रुपये छप्पन हजार दो सौ
2	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25876	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
3	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25877	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
113,600.00				

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक लाख तेरह हजार छ: सौ

(SHRI. Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25879	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
5	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25881	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
6	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25882	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
7	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25883	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख अठाइस हजार चार सौ

114,800.00

228,400.00



(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25885	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	28,700.00
9	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25886	SKLFOR001 A EKKA D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	28,700.00
10	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25887	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	28,700.00
11	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25889	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	28,700.00
राशि का योग: 114,800.00				
क्रमिक योग: 343,200.00				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25890	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
13	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25892	SGHFOR003 SRI SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	15,300.00 रुपये पंदह हजार तीन सौ
14	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25893	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	56,200.00 रुपये छप्पन हजार दो सौ
15	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25894	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	28,700.00 रुपये अठाइस हजार सात सौ
योग:				128,900.00
क्रमिक योग:				472,100.00

रुपये चार लाख बहत्तर हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25895	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	28,700.00 रुपये अठाहस हजार सात सौ
17	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25898	PLMFOR069 SRI NARESH CHANDRA SINGH MUNDA DFO.CORE.AREA.TP.I EDININAGAR	28,700.00 रुपये अठाहस हजार सात सौ
18	P 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25900	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	56,200.00 रुपये छ्यन हजार दो सौ
19	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26008	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	16,600.00 रुपये सोलह हजार छ: सौ

योगः

130,200.00

क्रमिक योगः

रुपये छ: लाख दो हजार तीन सौ

602,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26009	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	8,200.00 रुपये आठ हजार दो सौ
21	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26011	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	8,200.00 रुपये आठ हजार दो सौ
22	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26022	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	8,200.00 रुपये आठ हजार दो सौ
23	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26170	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	8,200.00 रुपये आठ हजार दो सौ
<hr/>				
योग:				32,800.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: लाख पैतीस हजार एक सौ			635,100.00

Y.K.Singh Chauhan
14/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

Ranchi
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26173	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	8,200.00
25	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26177	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	8,200.00
26	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26180	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	8,200.00
27	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26183	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	8,200.00
रुपये आठ हजार दो सौ				
32,800.00				
योग:				667,900.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: लाख सङ्काठ हजार नौ सौ		(Signature) 14/5/2016	
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26187	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	8,200.00
29	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26188	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	8,200.00
30	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26190	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	8,200.00
31	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26193	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	4,400.00
<hr/>				
योग:				29,000.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: लाख छयानवे हजार नौ सौ			696,900.00
<hr/>				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				





क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796390323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26194	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	16,600.00
33	P 19 240601796390323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26197	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	8,200.00
34	P 19 240601796390323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26200	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	8,200.00
35	P 19 240601796390323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26203	PLMFOR069 SRI NARESH CHANDRA SINGH MUNDA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	8,200.00
योग:				
रुपये सात लाख अड्डीस हजार एक सौ				
क्रमिक योग:				
रुपये सात लाख अड्डीस हजार एक सौ				
41,200.00				
738,100.00				

(Signature)
(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26205	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	16,600.00 रुपये सोलह हजार छ: सौ



16,600.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये सात लाख चौपन हजार सात सौ

754,700.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND